सं. 1/3/2008-ई.II(बी)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

*****

नई दिल्ली, 09 नवम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 01.07.2016 से लागू दर।

सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप, इस विभाग ने 4 नवम्बर, 2016 के का.ज्ञा. सं. 1/2/2016-ई.II(बी) के तहत 01.01.2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दर के संबंध में आदेश जारी किए थे।

2. तथापि, उपर्युक्त दर केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधन-पूर्व वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना था अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से संशोधित नहीं किए गए थे।

3. इसके अतिरिक्त, चूंकि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई हैं, वे अब भी छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित करते हैं। इसलिए महंगाई भत्ते की उपर्युक्त दर इन कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होती।

4. संशोधन-पूर्व वेतनमान में केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.01.2016 से महंगाई भत्ते की दर व्यय विभाग द्वारा 7 अप्रैल, 2016 के का.ज्ञा. सं. 1/1/2016-ई.II(बी) के तहत जारी की गई थी।

5. तदनुसार, केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उन कर्मचारियों, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधन-पूर्व वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं, के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर 01.07.2016 से मौजूदा 125% से बढ़ाकर 132% कर दी जाएगी।

6. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को उन मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

निर्मला देव
09/11/2016

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।